

International Journal of Multidisciplinary Trends

E-ISSN: 2709-9369
P-ISSN: 2709-9350
www.multisubjectjournal.com
IJMT 2023; 5(4): 09-13
Received: 09-01-2023
Accepted: 21-02-2023

डॉ. राजबाला साईवाल
सहायक आचार्य, भूगोल शास्त्र
विभाग देव इन्टरनेशनल कॉलेज,
अलवर, राजस्थान, भारत

माली राम यादव
शोधार्थी, भूगोल शास्त्र विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर,
राजस्थान, भारत

जयपुर जिले की विराटनगर तहसील में कृषि भूमि उपयोग में आधुनिकीकरण का अध्ययन

डॉ. राजबाला साईवाल, माली राम यादव

सारांश

कृषि भूमि उपयोग में आधुनिकीकरण का तात्पर्य कृषि भूमि उपयोग में परिवर्तन, नई तकनीक, मशीनीकरण, रासानिक खाद, नई किस्म के उन्नत बीज, विभिन्न कीटनाशक दवाईयाँ, उन्नत सिंचाई, कीट प्रतिरोधी फसलें, जीवाणु खाद, उचित विपणन आदि का कृषि में उपयोग है जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। किसान जीवन निर्वहन, कृषि से ऊपर उठकर व्यापारिक कृषि की ओर बढ़ने लगे हैं, जिससे उनकी सम्पन्नता भी बढ़ी है। कृषि में आधुनिकीकरण एक वैशिक पहलू है। भूमण्डलीकरण के द्वारा भारतीय बाजार संसार के लिए खुल गये हैं। इसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर सरकारी नियन्त्रण कम हुआ है तथा आयात-निर्यात से संबंधित नीतियों में उदारता आ गयी है। अब कृषि उत्पादों समेत अन्य उत्पादों का भारत आयात-निर्यात करता है। राजस्थान राज्य में भी इसी प्रकार कृषि भूमि उपयोग में आधुनिकीकरण प्रारम्भ हुआ जिसके फलस्वरूप कृषि उत्पादन क्षेत्र, उत्पादकता तथा उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई है। जयपुर जिले की विराटनगर तहसील भी कृषि भूमि उपयोग में आधुनिकीकरण की तकनीकों से अछूती नहीं है। आधुनिकीकरण प्रक्रिया के अन्तर्गत नई—नई तकनीकों एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाने लगा जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक एवं तकनीकी क्षेत्र में विकास स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। कृषि भूमि उपयोग में आधुनिकीकरण के लिए कृषि भूमि उपयोग में परिवर्तन का अत्यधिक महत्व रहा है, क्योंकि कृषि योग्य भूमि पर विभिन्न गैर-कृषिगत कार्यों संबंधी गतिविधियाँ संचालित होने लगी हैं, साथ ही कृषि अयोग्य भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित किया जा रहा है।

कूटशब्द : आधुनिकीकरण, कृषि भूमि उपयोग, गैर-कृषिगत कार्य, कृषि योग्य भूमि

प्रस्तावना

कृषि भूमि उपयोग में आधुनिकीकरण प्रक्रिया में कृषि भूमि उपयोग में परिवर्तन एक महत्वपूर्ण आधार रहा है जिसकी प्राथमिक अवस्था में भू-भाग वनस्पति आवरण से आच्छादित या वनस्पति विहीन रहता, धीरे-धीरे इस भू-भाग पर मानवीय गतिविधियाँ प्रारम्भ होने लगती हैं। मानव अपनी आवश्यकता के अनुरूप भूमि का उपयोग करता है। मानव ही भूमि को कृषि के योग्य बनाता है, कम उपजाऊ भाग को अधिक उपजाऊ बनाता है तथा एक फसली क्षेत्र को बहु फसली क्षेत्र में परिवर्तित करता है। जब भू-भाग का प्राकृतिक स्वरूप लुप्त हो जाता है तथा मानवीय क्रियाओं का योगदान महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी भी स्थान की भूमि उपयोग गहनता कुछ कारकों जैसे वर्षा, मृदा, सिंचाई, काश्तकारों की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। आधुनिकीकरण प्रक्रिया से कृषि में भी समयानुसार परिवर्तन आने लगे तथा आधुनिक तथा परम्परागत पद्धतियों से सामंजस्य स्थापित हुआ। आधुनिकीकरण प्रक्रिया हेतु सरकारों ने किसानों को वाचित सुविधाएं एवं सहायता देना प्रारम्भ किया जिससे कृषि विकास में सहायता प्राप्त हो सके, जिनमें ऋण सुविधा, यातायात सुविधा, सिंचाई सुविधाओं का विकास, कृषि यत्र एवं कृषि विस्तार कार्यक्रम क्रियान्वित करना, आधुनिक मशीनें उपलब्ध करवाना आदि प्रमुख हैं। कृषि का विकास सामान्य आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। जिस तरह आर्थिक विकास में पूंजी निवेश का महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसी तरह कृषि के विकास के लिए भी पूंजी निवेश में वृद्धि आवश्यक है। कृषि में पूंजी निवेश के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रति हैक्टेयर उत्पादन में भारी वृद्धि आवश्यक है। इसके साथ—साथ प्रतिव्यक्ति आय में भी वृद्धि आवश्यक है।


अध्ययन क्षेत्र

विराटनगर, राजस्थान राज्य के जयपुर जिले की एक महत्वपूर्ण तहसील है, यह जयपुर शहर से 90 कि.मी., अलवर शहर से 60 कि.मी. एवं शाहपुरा से 25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। विराटनगर तहसील मुख्यालय $27^{\circ}36'$ उत्तरी अक्षांश तथा $76^{\circ}17'$ पूर्वी देशान्तर पर अवस्थित है। विराटनगर तहसील के उत्तर में कोटपुतली तहसील, दक्षिण में जमवारामगढ़ तहसील, पश्चिम में शाहपुरा तहसील एवं पूर्व में अलवर जिला स्थित हैं। जिसका कुल क्षेत्रफल 482.36 वर्ग कि.मी. है। इस तहसील की समुद्र तल से औसत ऊँचाई 430 मीटर है।

Corresponding Author:
डॉ. राजबाला साईवाल
सहायक आचार्य, भूगोल शास्त्र
विभाग देव इन्टरनेशनल कॉलेज,
अलवर, राजस्थान, भारत

विराटनगर तहसील में 101 गाँव एवं 1 कस्बे आते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 166087 है, जिसमें पुरुष जनसंख्या 87069 एवं स्त्री जनसंख्या 79018 है।

अध्ययन क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व 344 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. एवं लिंगानुपात 908 महिला प्रति 1000 पुरुष है।



मानचित्रः विराटनगर तहसील की अवस्थिति

उद्देश्य

1. विराटनगर तहसील में कृषि भूमि उपयोग का अध्ययन करना।
2. विराटनगर तहसील में कृषि आधुनिकीकरण का अध्ययन करना।

परिकल्पना

1. विगत कुछ दशकों से विराटनगर तहसील में कृषि भूमि उपयोग में आधुनिकीकरण की दिशा में विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

शोध विधि

प्रस्तुत अध्ययन में शोध उद्देश्यों तथा परिकल्पनाओं को ध्यान में

रखते हुए विषय पर उपलब्ध साहित्य से सम्बन्धित पत्र-पत्रिकाओं, प्रतिवेदनों एवं पुस्तकों का अध्ययन किया गया है। अध्ययन क्षेत्र की सूचनाएँ व्यक्तिगत एवं सरकारी कार्यालयों से एकत्रित करके विश्लेषित की गयी हैं। उक्त शोध अध्ययन हेतु सामग्री तथा आंकड़ों का एकत्रीकरण निम्नलिखित स्रोतों से किया गया है –

1. **प्राथमिक स्रोत :** इस सम्बन्ध में प्रश्नावली, परिचर्चा एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से आंकड़े एकत्रित कर उपयोग में लिए गये हैं।
2. **द्वितीय स्रोत :** इस सम्बन्ध में प्रकाशित व अप्रकाशित सामग्री, पत्र-पत्रिकाओं, लेखों, कार्यालयों की सूचनाओं का उपयोग किया गया है।

कृषि भूमि उपयोग में आधुनिकीकरण

अध्ययन क्षेत्र में कृषि भूमि उपयोग में आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न नवीन तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है ताकि कृषि अयोग्य भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित किया जा सके एवं उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग कर अधिकतम उत्पादन किया जा सके। जिसमें कृषि भूमि उपयोग में परिवर्तन, उन्नत बीज, उर्वरक, सिंचाई, कृषि यंत्र, आधुनिक मशीनें, यातायात, ऋण एवं कृषि विस्तार आदि प्रमुख हैं।

कृषि भूमि उपयोग में परिवर्तन

विराटनगर तहसील में कृषि भूमि उपयोग में आधुनिकीकरण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण तकनीक कृषि भूमि उपयोग में परिवर्तन रही है, क्योंकि कृषि योग्य भूमि पर विभिन्न गैर-कृषिगत कार्यों संबंधी गतिविधियाँ संचालित होने लगी हैं, साथ ही कृषि अयोग्य भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित किया जा रहा है। कृषि भूमि उपयोग का परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत क्षेत्र का प्राकृतिक परिदृश्य प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित होता दिखाई देता है। प्राकृतिक परिदृश्य में बस्तियाँ, आर्थिक गतिविधियाँ, वानिकीय गतिविधियाँ एवं वाणिज्यिक गतिविधियाँ बढ़ने लगती हैं जो कि मानव प्रेरित गतिविधियाँ हैं। कृषि भूमि उपयोग परिवर्तित होता है। कृषि योग्य भूमि नवीन तकनीकों के कारण बढ़ती है, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या एवं उसकी आर्थिक गतिविधियों के कारण कृषि योग्य भूमि के क्षेत्र में कमी आती है। भूमि उपयोग परिवर्तन जलवायु परिवर्तन का आधार भी बनता है, जिससे समग्र वातावरण प्रभावित होता लें

उन्नत बीजों का वितरण

विराटनगर तहसील में प्रारम्भ में इन फसलों में उन्नत बीजों का प्रयोग नहीं किया जाता था, लेकिन हरित क्रान्ति का प्रभाव इस क्षेत्र के किसानों पर भी पड़ा और ये भी उन्नत बीजों का प्रयोग करने लगे। किसान ने साधारण बीजों की अपेक्षा अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया, जिससे प्रति हैक्टेयर उपज में भारी वृद्धि हुई। अधिक उपज देने वाले बीजों में वृद्धि सिंचित क्षेत्रों में अधिक हुई है। अवलोकन से पता चलता है कि गेहूं तथा चना की फसलों में सम्पूर्ण क्षेत्र में उन्नत बीजों का प्रयोग किया जा रहा है। इससे फसलों के उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, परन्तु अन्य फसलों के क्षेत्रों में उन्नत बीजों का प्रसार अभी शैशवावस्था में है। अतः अन्य फसलों में भी उन्नत बीजों का प्रयोग आवश्यक है। अभी तक उन्नत तथा अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग खाद्यान्न फसलों में ही किया जा रहा है। नगदी तथा अन्य फसलों में इनका प्रयोग या तो बिल्कुल ही नहीं किया जा रहा है या अत्यन्त कम मात्रा में किया जा रहा है। अतः नगदी तथा तिलहनी फसलों में भी इनके प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए तथा इसके लिए सिंचाई सुविधाओं का भी विस्तार किया जाना चाहिए।

उर्वरकों का प्रयोग

निरन्तर फसल पैदा करने से भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती जाती है जिसको बनाये रखने के लिए तथा वृद्धि करने हेतु अध्ययन क्षेत्र में खाद्यों तथा उर्वरकों का प्रयोग आवश्यक है। अधिक उपज देने वाले बीजों से अधिकतम लाभ तभी प्राप्त किया जा सकता है, जब तक उसमें उत्तम जल प्रबंध के साथ-साथ उर्वरकों का भी अनुकूलतम उपयोग हो। वास्तव में उर्वरक केवल सिंचित क्षेत्र में ही उत्पादन नहीं बढ़ाते, बल्कि असिंचित क्षेत्र में भी फसलों के प्रति हैक्टेयर उत्पादन की अभिवृद्धि में सहायक हैं।

कीटनाशक एवं पौध संरक्षण औषधियाँ

विराटनगर तहसील में कृषि भूमि उपयोग में आधुनिकीकरण के

लिए अनेक कृषि यंत्र, खाद और उन्नत बीजों के साथ-साथ कीटनाशक दवाओं का भी आगमन हुआ है। कभी-कभी अच्छी फसल होते हुए भी पौधों में बीमारियों के कारण फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पौधों में फफूंद, जीवाणु, वायरस, कवक, माइकोप्लाज्मा आदि सूक्ष्म जीवों से एवं अनेक जलवायिक कारक जैसे तापमान में भारी बदलाव, मृदा एवं जल की गुणवत्ता में अन्तर आने पर, पौधों में पोषक तत्वों की कमी या अधिकता, मृदा में क्षार एवं लवण अधिक या कम मात्रा में होने से पौधों में अनेक प्रकार की बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। उनके नियंत्रण के बिना फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्षेत्र में फसलों में रोग नियंत्रण हेतु प्रयोग की जाने वाली प्रमुख कीटनाशक तथा सूक्ष्म जीवाणुनाशक औषधियों का विवरण निम्न है:-

- **कीटनाशक दवायें** – बी.एच.सी. कारवोरिल, साइपर मैथेरीन एवं फेनवलेंरेट, डाइक्लोरस, डीपेथीएट, ओ.एस.उल्फान, मनिटोनियान, मैलामियान, फोसफोसिडान आदि।
- **कवक नाशक** – कॉपर सल्फेट, कॉपर आक्सेक्लोराइड, कार बेन्जीम मानेओजाब, सल्फर, जीनाब, डी. फोलेशन व डाइनोकेप हैं।

अध्ययन क्षेत्र में उपरोक्त औषधियों का प्रयोग फसल में रोग नियंत्रण हेतु छिड़काव घोल बनाकर अथवा चूर्ण के रूप में होता है। इनके प्रयोग से फसल उत्पादन में कीटों से होने वाली फसल क्षति से फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है, परन्तु अधिक कीटनाशकों के प्रयोग से अनेक प्रकार के हानिकारक प्रभावों की उत्पत्ति होने लगती है।

संस्थागत सुविधाएं

सरकार राज्य में कृषि विकास के लिये विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों का सहयोग प्राप्त कर रही है। इस प्रकार की सुविधा प्रदान करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के संघ जैसे अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि विकास संगठन, विश्व बैंक, विश्व मौसम संगठन आदि भी अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य में कृषि विकास में सहयोग दे रहे हैं जिसके माध्यम से राज्य स्तर पर लाभ हो रहा है। कुछ समय पूर्व ही भारत सरकार ने दलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए दलहन विशेषज्ञों की अन्तर्राष्ट्रीय संस्था "इकार्ड" से समझौता किया है। आधुनिक तकनीक व अच्छी प्रजाति के बीजों के उपयोग से देश के एक बड़े असिंचित क्षेत्र में दलहन की खेती को प्रोत्साहित करने की योजना तैयार की गई है। मैसूर, चना और कुल्थी की उन्नतशील खेती के लिए सीरिया स्थित "इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन ड्राई एरिया" के 'जर्मप्लाज्म' के विशाल संग्रह के उपयोग करने की भारत सरकार की योजना है। जिससे अध्ययन क्षेत्र को भी लाभ मिलने की सम्भावना है।

कृषि विस्तार सुविधाएं

विराटनगर तहसील में इस प्रणाली के अन्तर्गत गठित प्रसार व्यवस्था में मुख्य रूप से नई तकनीक एवं विधियों का ज्ञान प्राप्त कर ध्यान देने की भावना ही अधिक महत्वपूर्ण है। इसके साथ-साथ यह भी देखना आवश्यक है कि विभिन्न फसलों के उन्नत बीज, पौध संरक्षण, मृदा संरक्षक सम्बन्धी विभिन्न रसायन एवं साधन भी किसानों को समय विशेष एवं स्थान विशेष पर उपलब्ध होना आवश्यक है। इस हेतु सरकार ने विभिन्न साधनों को उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व सिंचाई विभाग, सहकारी संस्थाएं, कृषि उद्योग, निगम व निजी संस्थाओं को दे रखा है। कृषि विस्तार प्रशासनिक इकाईयां जनतंत्रीय पद्धति पर आधारित हैं, जिसमें कृषकों का सहयोग भी वांछनीय है। कृषि विस्तार की कार्यप्रणाली निम्न बिन्दुओं पर आधारित है :-

प्रशिक्षण कार्यक्रम

इसके अन्तर्गत कार्यकर्ताओं को समय—समय पर कृषि में हो रही नवीन तकनीकों के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण कार्य के अन्तर्गत फसल बुवाई के मौसम से पूर्व 4 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें बोयी जाने वाली फसल की उचित ढंग से बुवाई का तरीका बताया जाता है। इस प्रशिक्षण का आयोजन प्रत्येक विस्तार इकाई के प्रधान कार्यालय पर आयोजित किया जाता है। इसके प्रशिक्षण देने हेतु कृषि वैज्ञानिक के साथ—साथ जिले स्तर के कृषि विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं। यह प्रशिक्षण कार्य सभी किसानों एवं ग्रामीण कार्यकर्ताओं के साथ खेतों पर जाकर आयोजित किया जाता है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य किसानों में “जानो कैसे” ज्ञान की जानकारी देना होता है।

सामूहिक विचार—विमर्श

सामूहिक रूप से विचार—विमर्श का भी आयोजन किया जाता है जिसमें कृषि विस्तार अधिकारी एवं प्रचार कार्यकर्ता के साथ किसान भी शामिल होते हैं। पर्यवेक्षक एवं कृषक अपनी आनुभाविक समस्याओं को विशेषज्ञों के समक्ष रखते हैं जिनका विचार—विमर्श द्वारा हल किया जाता है।

भ्रमण दिवस

कृषि वैज्ञानिक एवं कृषि अधिकारी समय—समय पर खेतों पर जाकर भ्रमण करते हैं। फील्ड में किसी एक प्रदर्शन खेत पर किसानों को बुलाकर उन्हें फसल सम्बन्धी उपयोगी नवीन विधियों के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे जुताई, बुवाई, खाद, बीज की किस्म व मात्रा, कीटनाशक औषधियों का प्रयोग व मात्रा, मिट्टी की उर्वरकता बनाये रखने सम्बन्धी जानकारी एवं सिंचाई के तथ्यों से अवगत कराते हैं।

फिल्म प्रदर्शन

कृषि तकनीक का प्रचार—प्रसार करने, उनका उचित ढंग से प्रदर्शन करने हेतु समय—समय पर कृषि जानकारी सम्बन्धित फिल्म दिखाकर किसानों को ज्ञान कराया जाता है। किसान इन कार्यक्रमों को बड़े उत्साह से देखते हैं और नवीन विधियों में पारंगत हो जाते हैं जो समय पर उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

प्रदर्शक फील्ड एवं सामूहिक समस्याएं

प्रत्येक पर्यवेक्षक एक विशेष खेत को चुनता है जिस खेत में आधुनिक नये तकनीकी आदान प्रयोग में लिये गये हों, उस पर पर्यवेक्षक किसानों को ले जाकर विभिन्न तकनीकी आदानों की उपयोगिता की जानकारी देता है। इस विशेष खेत पर 50—100 किसानों की टोली बुलाई जाती है जिसमें किसान सम्बन्धित समस्याओं की जानकारी एवं प्रोत्साहन ग्रहण करके नवीन जानकारी प्राप्त करते हैं।

कृषि अनुसंधान सुविधा

कृषि अनुसंधान कार्य के परिणामस्वरूप ही आज कृषि में नये—नये आदानों का प्रयोग बढ़ रहा है। अनुसंधान कार्यों में मिट्टियों का परीक्षण एवं उर्वरकता को बढ़ाने के सुझाव, विभिन्न किस्म के उन्नत बीजों की उपयोगिता, फसलों में बीमारियां एवं उनसे सम्बन्धित औषधि उपयोग, नवीन कृषि पद्धतियां, कृषि उत्पादन एवं विकास सम्बन्धी अनेक समस्याओं एवं उनके समाधान पर शोध किया जाता है। राजस्थान में कृषि में अनुसंधान के लिए दो विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है जिनमें से एक उदयपुर में तथा दूसरा बीकानेर में स्थापित किया गया है। उदयपुर में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तथा बीकानेर में स्वामी केशवानन्द कृषि विश्वविद्यालय कृषि अनुसंधान में

कार्यरत है। इसके अतिरिक्त जोधपुर में स्थापित “सेन्ट्रल एरिड जोन रिसर्च इन्स्टीट्यूट” एवं जयपुर में स्थापित दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केन्द्र भी इस दिशा में अपना सक्रिय योगदान दे रहे हैं।

पशु एवं फसल संरक्षण

अध्ययन क्षेत्र में कृषि भूमि उपयोग के आधुनिकीकरण में पशु एवं फसल संरक्षण कार्य भी शामिल किया गया है, जिनमें विभिन्न कार्यक्रमों के योगदान से पशु संरक्षण एवं फसल उत्पादन में वृद्धि के साथ—साथ उनकी नस्लों एवं किस्मों में भी सुधार आ सके। इन कार्यों में भी कई संस्थाएं संलग्न हैं। पशु संरक्षण के क्षेत्र में पशु चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर का उल्लेखनीय योगदान है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने एक अन्य चिकित्सा महाविद्यालय, वल्लभनगर (उदयपुर) में स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त एक पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, बीकानेर में स्थापित करने की भी योजना राज्य सरकार ने बनाई है।

कृषि साख सुविधाएं

परम्परागत कृषि व्यवस्था में कृषक केवल जीविकोपार्जन हेतु कृषि कार्य करता था एवं इसके साथ—साथ कृषक का मुख्य व्यवसाय पशुपालन हुआ करता था जिससे किसान को कोई अधिक आर्थिक लाभ प्राप्ति नहीं होता था एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति अत्यधिक दयनीय होती थी। किसानों को ऋण के लिये साहूकार तथा महाजनों पर निर्भर रहना पड़ता था। आवश्यकता पड़ने पर वो ही किसानों को ऋण उपलब्ध करवाते थे जिनकी पूर्ति अत्यन्त कठिन होती थी तथा व्याज दरें अत्यधिक ऊंची होती थी तथा अनपढ़ किसान साहूकारों तथा महाजनों की शर्तों को समझ नहीं पाता था जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति और भी दयनीय हो जाती थी और कृषक ऋण को चुका नहीं पाता था, अतः कृषक को मजबूरन अपनी फसल को साहूकारों तथा महाजनों को सौंपना पड़ता था जब कृषक को अनाज की आवश्यकता पड़ती थी, तब उसे अपना ही अनाज पुनः अधिक दर पर खरीदना पड़ता था।

अतः स्वतंत्रता के पश्चात् सरकारों का ध्यान इस ओर गया तो सरकारों ने किसानों को कृषि कार्य करने के लिये ऋण उपलब्ध कराने हेतु संस्थाओं का कार्य क्षेत्र बढ़ाया, जिनके द्वारा किसानों एवं कृषि क्षेत्र से सलग्न लोगों को अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण एवं दीर्घकालीन ऋण की सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है।

पूंजी विस्तार सेवा सुविधाएं

विराटनगर तहसील में कृषि भूमि उपयोग के आधुनिकीकरण में पूंजी विस्तार सेवा अवश्यकता के अलावा गहन पूंजी सुलभ सेवा सुविधाएं भी कृषि आधुनिकीकरण की सुविधाएं मानी गई हैं। इस वर्ग में उन सुविधाओं को समिलित किया जाता है जिनके बनाने एवं प्राप्त करने में विशेष पूंजी की आवश्यकता होती है जिनमें मुख्यतः भण्डारण सुविधायें, पीने के पानी की सुविधायें, सिंचाई सुविधायें, संचार सुविधाएं, यातायात, कृषि विपणन आदि सुविधाओं को समिलित किया गया है।

यातायात व संचार सुविधाएं

कृषि भूमि उपयोग के आधुनिकीकरण एवं वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में यातायात व संचार सुविधाओं का होना अत्यन्त आवश्यक है, जिनके माध्यम से कृषक अपने उत्पादन को बाजार तक आसानी से पहुंचा सकें एवं विभिन्न आवश्यक सामान एवं कृषि आदान नगरों से गांव तक पहुंचा सकते हैं।

विद्युत सुविधा

अध्ययन क्षेत्र के लगभग सभी गांव विद्युत विभाग द्वारा विद्युतीकृत कर दिये गये हैं जिससे कृषकों को मोटर पम्प सैट लगाने में सुविधा प्राप्त हुई है। कृषि के विकास में विद्युतीकरण की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विद्युत मोटर पम्प से सिंचाई की सुविधा किसानों को सस्ती पड़ती है एवं अधिक गहरे भूजल का उपयोग भी कृषि में संभव होता है।

निष्कर्ष

जयपुर जिले की विराटनगर तहसील में कृषि भूमि उपयोग के आधुनिकीकरण में कृषि भूमि उपयोग में परिवर्तन, उन्नत बीजों का वितरण, उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशक एवं पोध संरक्षण औषधियां, संस्थागत सुविधाएं, कृषि विस्तार सुविधाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामूहिक विचार-विमर्श, भ्रमण दिवस, फिल्म प्रदर्शन, प्रदर्शक फील्ड एवं सामूहिक समस्याएं, कृषि अनुसंधान सुविधा, पशु एवं फसल संरक्षण, कृषि साख सुविधाएं, पूजी विस्तार सेवा सुविधाएं, यातायात व संचार सुविधाएं, विद्युत सुविधा आदि को सम्मिलित किया जाता है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और इसके परिणाम स्वरूप संसाधनों पर बढ़ते दबाव से भूमि उपयोग प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। खाद्यान्नों की बढ़ती मांग के कारण वन, झाड़ी और आर्द्ध भूमि सहित गैर कृषि क्षेत्रों पर अतिक्रमण कर फसल क्षेत्र का विस्तार किया जाता है। विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से कृषि भूमि उपयोग के आधुनिकीकरण में नवीन तकनीकों का प्रयोग आवश्यक है, जिनसे जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, साथ ही अध्ययन क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि की जा सके।

सन्दर्भ

1. भल्ला एल. आर. (2022), राजस्थान का भूगोल, कुलदीप पब्लिकेशन, जयपुर, पृष्ठ संख्या 76–87।
2. शर्मा, आर. एन. (2022). वाटर कन्जर्वेशन— स्टेटेजीज एण्ड सोलुशन, रावत प्रकाशन, जयपुर, पृष्ठ संख्या 63–66।
3. सक्सेना, हरिमोहन (2021), “राजस्थान का भूगोल”, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, राजस्थान सरकार पृष्ठ संख्या 51–59।
4. तिवारी आर. सी. एवं सिंह बी. एन. (2021), कृषि भूगोल, प्रवालिका पब्लिकेशन्स, इलाहबाद, पृष्ठ संख्या 41–48।
5. गौतम, अल्का (2020), कृषि भूगोल, शारदा प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ संख्या 76–85।
6. जिला साखियकी रूपरेखा, जयपुर जिला— 2020
7. शुक्ला राजेश एवं शुक्ला रश्मि (2019), कृषि भूगोल, अर्जुन प्रकाशन, जयपुर, पृष्ठ संख्या 71–77।